

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-07432-23230 Fax No. -231131 E-mail defjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ / वन अधिकार / उवसं / 2014-15 / 11314

दिनांक: 18-7-14

निमित्त:-

अधीक्षण अभियंता

सा.नि.वि.0 झालावाड़।

विषय:- एफ.सी.ए.में प्रकरणों को ऑनलाईन करने बाबत।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 10917 दिनांक 11.09.2014

कार्यालय उप वन अधिकार, सा.नि.वि. झालावाड़	27/9/14
दिनांक	13.09.14

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र से आपको अवगत करवाया गया था कि वन संरक्षण अधिनियम प्रकरणों के संबंध में दिनांक 09.09.2014 को श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा में हुई समीक्षा बैठक (पेज संख्या 5 की प्रति संलग्न) की अनुपालना में आप द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित समस्त प्रस्ताव जो कि वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(2) के तहत आवेदन किये गये हैं, को शीघ्र ऑन लाईन करवा कर कार्यालय को सूचित करने हेतु लिखा गया था परन्तु आप द्वारा प्रकरण ऑनलाईन करने की सूचना इस कार्यालय को नहीं भिजवाई गई है। अतः आप सड़क से संबंधित समस्त प्रस्ताव को ऑनलाईन करवाकर कार्यालय को सूचित करें ताकि कार्य त्वरित गति से किया जा सके और जयपुर से स्वीकृति जारी हो सके।

क्र.सं.	नाम यूजर ऐजेन्सी	यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का क्रमांक दिनांक	रेंज	प्राप्त प्रस्ताव का विवरण
1	अधिशायी अभियंता सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा	1018/13.12.2013	अकलेरा	सम्पर्क सड़क सावल्या से ग्राम पंचायत गुलखेडी तक सड़क निर्माण हेतु।
2	अधिशायी अभियंता चौमहला	1081/20.03.2014	डग	सम्पर्क सड़क मगदालिया से बानीखेडी तक सड़क निर्माण हेतु।
3	अधिशायी अभियंता चौमहला	1081/20.03.2014	डग	सम्पर्क सड़क दुधालाई से मेरुखेडी तक सड़क निर्माण हेतु।
4	अधिशायी अभियंता अकलेरा	78/16.05.2014	असनावर	सम्पर्क सड़क नयागाँव भानपुरा से ग्राम पंचायत खेडला तक सड़क निर्माण हेतु।
5	अधिशायी अभियंता अकलेरा	79/16.05.2014	असनावर	सम्पर्क सड़क जटामणी से ग्राम पंचायत बड़ोदिया तक सड़क निर्माण हेतु।
6	सहायक अभियंता सा.नि.वि. उप खण्ड रीछवा	निल/02.07.2014	असनावर	सम्पर्क सड़क मण्डावर तीनधार से बडबेला तक सड़क निर्माण हेतु।
7	अधिशायी अभियंता अकलेरा	252/03.07.2014	अकलेरा	सम्पर्क सड़क किशोरपुरा(बाडिया) से ग्राम पंचायत बड़ोदिया तक सड़क निर्माण हेतु।
8	अधिशायी अभियंता अकलेरा	267/03.07.2014	अकलेरा	सम्पर्क सड़क रोज्याकली से ग्राम पंचायत बोरखेडी तक सड़क निर्माण हेतु।

Copy Forwarded to the following for information & necessary action The E.E. P.W.D. Division Jhalawar/Khanpur/Ankera B.Mandir/Chamalia

T.A. to S.E. P.W.D. Circle Jhalawar

(सुदीप कौर)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

24	करवरी खुर्द से बामनदेह	-	प्रकरण ऑन लाईन कर प्रस्तुत करना अवगत कराया गया अभी प्रकरण नोडल अधिकारी के स्तर पर परीक्षण में है। इन प्रकरणों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सुझाव दिया गया कि ऑन लाईन प्रकरण प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक कार्यवाही भूमि आवंटन, वन अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रमाण-पत्र, डीजीपीएस/ टोटल स्टेशन सर्वे आदि की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावे ताकि प्रकरण आक्षेप में आने पर बिना विलम्ब पूर्ति की जा सके।
25	लकड़ाई से मामली बाया दुर्जनपुरा	-	
26	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सडक	-	
27	राजपुर मुण्डियर सडक (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी	-	
Circle Jhalawar			
1	Const. of Airstrip at Kolana	9.71 Hectre.	प्रकरण में अनुपालना भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। परन्तु अभी तक अन्तिम स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। उप वन संरक्षक द्वारा अन्तर राशि की मांग प्रकरण में अभी तक अन्तिम स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण की गयी है।
2	Approach road Ratlai Jhumki Barkhedi Barodiya	1.89 हेक्टेयर	प्रकरण वन विभाग में लम्बित नहीं है अब ऑन लाईन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

SCHEME - PMGSY PWD Zone Kota

S. No.	Name of Road	FSC issued No and Date	
1	3	4	
Circle Kota			
1	Salawad Khurd to Barodiya Antry	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लखनऊ के पत्रांक 8 बी / राज / 06 / 33 / 2008 / एफ. सी. / 162 दिनांक 11.05.09	प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति वर्ष 2007 में प्राप्त हो चुकी है, परन्तु अभी तक अनुपालना के अभाव में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है प्रकरण में राशि जमा कराने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को एल.ओ.सी. प्राप्त नहीं होना अवगत कराया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रकरण में अनुपालना कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करने पर उप वन संरक्षक बिना विलम्ब अतिशीघ्र प्रेषित करेंगे।
2	Dhabadeh to Kudayla		प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का जब तक निराकरण नहीं किया जाता तब तक वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुमति देना संभव नहीं है। अतः प्रकरण में भारत सरकार के पत्रानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें। उप वन संरक्षक, कोटा भी इस दिशा में कार्यवाही करावे।
3	Mandliya to Pachphar		प्रकरण में उप वन संरक्षक, कोटा द्वारा आक्षेप पूर्ति हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा गया है। बैठक में अनुरोध किया गया कि सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता उप वन संरक्षक के कार्यालय में उप वन संरक्षक, कोटा से सम्पर्क कर आक्षेप पूर्ति करावे तथा उप वन संरक्षक, कोटा आक्षेप पूर्ति उपरान्त प्रकरण बिना विलम्ब अग्रप्रेषित करावे।